न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी का नाम – बृजेश गुप्ता (R.A.S)
मुकदमा नम्बर – 25/2025
किस्म मुकदमा – प्रार्थना पत्र
दायर दिनांक – 14.02.2025
निर्णय दिनांक – 25.03.2025

अनवान

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजसमन्द जिला राजसमन्द।

......................प्रार्थी

बनाम

1. आयुक्त देवस्थान विभाग उदयपुर।

......................विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित
अधिवक्ता प्रार्थी – पेरोकार राज
विपक्षी –

निर्णय

प्रार्थी तहसीलदार राजसमन्द ने एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सथाना के खसरा नम्बर 100 रकबा 0–07 बीघा भूमि के खसरा पत्रक अनुसार साबिक नम्बर 21 मी. होकर किस्म आबादी मकान धुणी तथा मन्दिर दर्ज है। भू–प्रबन्ध विभाग ने सेटलमेन्ट की मूल जमाबन्दी में खाता सं. 1 अलावा जोत नाकाबिल काश्त में स्थान देवस्थान दर्शा दिया गया जो आज की जमाबन्दी खाता सं. 1 में भी उक्त आराजी नम्बर 100 की किस्म देवस्थान 0.0567 हैक्टेयर दर्शायी गयी है। अतः ग्राम सथाना के आ.नं. 100 रकबा 0.0567 की किस्म देवस्थान के बजाय आबादी 0.0162 मकान 0.0162 धुणी 0.0081 मन्दिर 0.0162 दर्ज किया जाना उचित है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत पाये जाने से उक्त प्रार्थना को प्रकरण संख्या 25/2025 दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी द्वारा जरिये पत्रांक एफ1(1)सामान्य/देय/उदय/2025/858 दिनांक 17.03.2025 को जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त मंदिर पर स्थापित मंदिर एवं धुणी देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित होकर एक अराजकीय मंदिर है, तथा उक्तानुसार भूमि भी मंदिर से सम्बन्धित होने से अराजकीय मंदिरों के प्रबंधन के लिये राज्य सरकार के परिपत्र प.6(17)प्र. सु./अनु3/2002 दिनांक 07.12.2009 के अनुसार उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेठी द्वारा बैठक आयोजित कर उक्त भूमि के किस्म आबादी, मकान धुणी तथा मंदिर परिवर्तन से सम्बन्धित निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।

दिनांक 20.03.2025 को प्रशासनिक सुधार अनु 3 विभाग जयपुर के आदेश क्रमांक प.6(17)प्र. सु./अनु3/2002 दिनांक 07.12.2009 को कमेठी की बैठक आयोजित की गई। आयोजित बैठक में ग्राम सथाना के खसरा नं. 100 रकबा 0–07 बिस्वा अर्थात 0.0567 हैक्टेयर भूमि किस्म धुणी मन्दिर पूर्ववत दर्ज करने की अनुमति प्रदान की गई।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमन्द

Scanned with ACE Scanner

प्रार्थी को सुना जिन्होने अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित बिन्दुओ को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम सथाना के आ.नं. 100 रकबा 0.0567 की किस्म देवस्थान के बजाय आबादी 0.0162 मकान 0.0162 धुणी 0.0081 मन्दिर 0.0162 दर्ज किया जाने हेतु निवेदन किया।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी को सुनकर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् एवं दिनांक 20.03.2025 को परिपत्र प.6(17)प्र. सु. /अनु3/2002 दिनांक 07.12.2009 के अनुसार आयोजित बैठक कार्यवाही विवरण का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा चाही गई प्रस्तावित शुद्धि किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनिम 1956 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार राजसमन्द को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम सथाना के आ.नं. 100 रकबा 0.0567 की किस्म देवस्थान के बजाय आबादी 0.0162 मकान 0.0162 धुणी 0.0081 मन्दिर 0.0162 दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन हेतु तहसीलदार राजसमन्द को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कमी की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

बृजेश गुप्ता (R.A.S)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
राजसमंद

उक्त आदेश आज दिनांक 25.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की गोल मोहर से जारी किया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
राजसमंद

Scanned with ACE Scanner